

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1617 / 2013 / जयपुर.

2. अपील संख्या – 1618 / 2013 / जयपुर.

मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी. सी. जैन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/01/2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 66 व 67/अपील्स-11/आरएसटी/जयपुर/2012-13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 13.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 1997-98 व 1998-99 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2004 को पारित किये गये, जिसमें अप्रस्तुत घोषणा-पत्रों के कारण अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-डी-जयपुर दिनांक 12.07.2004 के क्रम में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत उक्त अधिसूचना के अनुसार ब्याज राशि वेव किये जाने का निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पृथक-पृथक आदेश दिनांक 17.12.2004 पारित करते हुए कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित प्रकरण में ब्याज राशि रुपये 23,69,844/- एवं कर

लगातार.....2

निर्धारण वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित प्रकरण में ब्याज राशि रुपये 37,08,613/- वेव की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों में, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.04.2007 से ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें निष्प्रभावी घोषित करते हुए अस्वीकार की गयी। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 21 में दिनांक 09.03.2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप कि, व्यवहारीगण दिनांक 31.03.2011 तक सम्पूरित हुए कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्धित अप्रस्तुत घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अप्रस्तुत घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग में कमी की जाने की प्रार्थना की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2012 के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र इस आधार पर खारिज किये गये कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 में विहित समयावधि के पश्चात् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं हैं। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों दिनांक 13.05.2013 से इस आधार पर अस्वीकार की गई कि प्रकरणों में बकाया घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में पूर्व में आदेश दिनांक 05.04.2007 पारित किया जा चुका है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के घोषणा-पत्र अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी पारित किये गये दोनों आदेश पृथक-पृथक आधारों पर अपास्त किये गये हैं। जबकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 21 में हुए संशोधन के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी को घोषणा-पत्र स्वीकार कर तदनुसार मांग में कमी की जानी चाहिये थी। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। बकाया घोषणा-पत्रों को स्वीकार करते हुए मांग में कमी किया जाना संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि कर के समायोजन का बिन्दु है, अतः समयावधि का प्रश्न ही नहीं रहता है। एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने के आधार पर बकाया घोषणा-पत्रों को अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-145 दिनांक 09.03.2011 से नियम 21 में हुए संशोधन के द्वारा दिनांक 31.03.2011 तक सम्पूरित हुए कर निर्धारण आदेशों से सम्बन्धित बकाया घोषणा-पत्रों को स्वीकार किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के बकाया घोषणा-पत्रों को अस्वीकार किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पुर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरणों को निष्कर्षित करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-डी जयपुर दिनांक 12.07.2004 के क्लॉज 1, 2 व 3 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार हैं :-

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
TAX DIVISION**

No. F.4 (67) FD/Tax/2004-D


Jaipur, July 12, 2004

ORDER

With a view to reduce the litigation and the outstanding dues locked up in such litigations, the State Government in public interest hereby announces the "AMNESTY SCHEME - 2004", as under:

1. **Applicability:** (1.1) The Scheme shall be applicable to all cases filed by the applicant or the Department upto March 31, 2002 and is pending in any of the following forums :-
 - (i) The Supreme Court of India, the High Court of Judicature for Rajasthan;
 - (ii) Rajasthan Tax Board;
 - (iii) Additional Commissioner (Appeals)
 - (iv) Deputy Commissioner (Appeals);
 - (v) In any Civil Court;
 - (vi) In any Criminal Court;
 - (vii) Court or Tribunal outside the State of Rajasthan where recovery case is pending.

Explanation: 'Cases' means the cases concerned with outstanding demand against the dealer / assesses / person disputed before any of the courts / forums mentioned above.



लगातार.....4



(1.2) Pending cases as referred to in (1.1) above, may relate to any of the following Acts:-

- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994;
- (ii) The Central Sales Tax Act, 1956;
- (iii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957;
- (iv) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988;
- (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999;
- (vi) The Rajasthan Tax on Luxuries (Hotels and Lodging Houses) Act, 1996.

2. **Definitions:** (i) Tax- as defined under Section 2(41), RST Act, 1994 and includes tax levied and collected under the Acts enumerated under clause 1 above.

(ii) Disputed Tax: Amount of tax which was made disputed before any court or forum, as enumerated under clause 1 above.

(iii) Applicant: means a assessee / dealer / person, opting for the Amnesty Scheme by submitting an application to the appropriate authority.

(iv) Department: means the Commercial Taxes Department acting through the assessing authority or the officer authorised for the purpose.

3. Conditions of the Scheme :-

(3.1) If the case is pending at the first appellate stage [with Deputy Commissioner (Appeals) or Additional Commissioner (Appeal)] and is not related to avoidance or evasion of tax,

(i) The applicant should deposit the whole of the disputed tax or request for payment of outstanding tax in instalments which have been granted by the competent authority and withdraw the appeal, the interest payable on the disputed tax amount and penalty other than the one imposed for evasion or avoidance of tax, shall be waived under section 54, RST Act, 1994. However, if the dealer fails to make payment of any of the instalments, the whole of the disputed tax amount would be recoverable immediately along with interest thereon.

(ii) If the case is not related to avoidance or evasion of tax and the applicant Deposits the whole of the disputed tax amount, the interest payable on the disputed tax amount and penalty other than the one imposed for evasion or avoidance of tax shall be waived under section 54, RST Act, 1994. In such a case the withdrawal of appeal is not necessary.

(3.2) Where the case is related to evasion of tax (other than the one detected in the course of transit of the goods) under the RST Act, 1994 and the CST Act, 1956, or any other Act as referred to above, and the assessee / dealer / person deposits the whole of the disputed tax amount along with 50% of this amount as penalty and withdraws the case from the concerned court / forum, the remaining penalty amount and interest thereon up to the date, shall be waived under section 54 of the RST Act, 1994.

(3.3) Where an evasion case is detected in respect of the goods during the course of the transit, and the assessee / dealer / person deposits 50% of penalty amount and withdraws the case from the concerned court / forum, the remaining 50% penalty amount along with interest thereon up to the date, shall be waived under section 54 of RST Act, 1994.


(3.4) In all such cases, where penalty was imposed for misuse of any declaration form or for undeclared goods and if the assessee / dealer / person deposits 50% of penalty amount along with tax, if any, and withdraws the case from the concerned court / forum, the remaining penalty and interest thereon up to the date, shall be waived under Section 54, RST Act, 1994.

(3.5) In all such cases, which are not covered under sub-clauses (a), (b), (c) and (d) of clause 3 and where the dealer / assessee / person deposits 50% amount of the outstanding demand pending against him and withdraws the case from the concerned court / forum, remaining amount of the demand along with interest up to the date, shall be waived under section 54, RST Act, 1994 or under section 9C, Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 as the case may be.

(3.6) The applicant would be entitled to apply under the Scheme even if the pending case had been filed by the Commercial Taxes Department. In such cases, on compliance of the condition of deposit of the disputed tax amount and 100% of the penalty amount in evasion cases and 75% of the penalty amount in other cases, the cases filed by the Department would be withdrawn.

7. उक्त एमनेस्टी स्कीम के तहत अपीलार्थी द्वारा दोनों वर्षों के कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित प्रकरण में आदेश दिनांक 17.12.2004 निम्नानुसार पारित किया गया :-



लगातार.....6


-: एमनेस्टी योजना 2004 के अन्तर्गत आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(67)वित्त/कर/2004-17 दिनांक 12.7.2007 द्वारा जारी "एमनेस्टी योजना 2004" के क्लॉज 3(1)(ii) के तहत उपर्युक्त व्यवसायी द्वारा उसके विरुद्ध बकाया मांग राशि (ब्याज एवं शास्ति से सम्बन्धित) अधित्यजित करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रपत्र ए.एस.-1 में प्रस्तुत किया गया है। स्कीम के क्लॉज 3(1)(ii) के प्रावधान के अनुसार करापवंचन के अतिरिक्त प्रकरणों में यदि व्यवसायी द्वारा विवादित कर राशि जमा करा दी जाती है, तो विवादित कर पर आरोपित ब्याज एवं शास्ति राशि को वेट अधिनियम किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चूंकि सारणी में उल्लिखित प्रकरण करापवंचन से संबंधित नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ए.एस.-2 पर विचार किया जाकर निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित बकाया मांग राशि को योजना के विभिन्न प्रावधानों एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अधित्यजित किया जाता है :-


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	विवादित राशि				जमा कराई गई कर राशि	क.नि.अ. द्वारा अनुशंसित वेट अधिनियम करने योग्य ब्याज राशि	संबंधित न्यायालय जहां वाद/रिवीजन/अपील दायर किया गया
1	2	3				4	6	7
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल			
25.9.04	97-98	1680741	2369844	-	4050585	1680741	2369844	उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर

8. इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :-

-: एमनेस्टी योजना 2004 के अन्तर्गत आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(67)वित्त/कर/2004-17 दिनांक 12.7.2004 द्वारा जारी "एमनेस्टी योजना 2004" के क्लॉज 3(1)(ii) के तहत उपर्युक्त व्यवसायी द्वारा उसके विरुद्ध बकाया मांग राशि (ब्याज एवं शास्ति से सम्बन्धित) अधित्यजित करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रपत्र ए.एस.-1 में प्रस्तुत किया गया है। स्कीम के क्लॉज 3(1)(ii) के प्रावधान के अनुसार करापवंचन के अतिरिक्त प्रकरणों में यदि व्यवसायी द्वारा विवादित कर राशि जमा करा दी जाती है, तो विवादित कर पर आरोपित ब्याज एवं शास्ति राशि को वेट अधिनियम किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चूंकि सारणी में उल्लिखित प्रकरण करापवंचन से संबंधित नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ए.एस.-2 पर विचार किया जाकर निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित बकाया मांग राशि को योजना के विभिन्न प्रावधानों एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अधित्यजित किया जाता है :-



लगातार.....7


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	विवादित राशि				जमा कराई गई कर राशि	क.नि.अ. द्वारा अनुशंसित वेट अधिनियम करने योग्य ब्याज राशि	संबंधित न्यायालय जहां वाद/रिडीजन/अपील दायर किया गया
1	2	3				4	6	7
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल			
25.9.04	98-99	3169755	3708613	-	6878368	3169755	3708613	उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर

9. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-145 दिनांक 09.03.2011 के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 21 में संशोधन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

7. Amendment of rule 21.- In sub-rule (1) of rule 21 of the said rules.-

- in clause (i) for the existing expression "along with his return", the expression "prior to the due date of filing of annual return or audit report, as the case may be" shall be substituted.
- in clause (ii) for the existing expression "along with his return", the expression "prior to the due date of filing of annual return or audit report, as the case may be" shall be substituted.
- the existing second proviso shall be substituted by the following, namely :-

"Provided further that for the assessments completed up to March 31, 2011, the dealers may furnish declaration forms / certificates up to June 30, 2011."

10. अपीलार्थी ने दिनांक 09.03.2011 के नियम 21 में संशोधन के क्रम में कर निर्धारण वर्ष 1997-98 व 1998-99 के लिये अप्रस्तुत घोषणा-पत्र (जिनके सम्बन्ध में दिनांक 12.07.2004 की एमनेस्टी योजना 2004 के अधीन योजना में आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 17.12.2004 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 में बकाया कर राशि रुपये 16,80,741/-, ब्याज राशि रुपये 23,69,844/- कुल रुपये 40,50,585/- में से कर राशि रुपये 16,80,741/- जमा कराने के पश्चात ब्याज राशि रुपये 23,69,844/- अधित्यजित की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में बकाया कर राशि रुपये 31,69,755/-, ब्याज राशि रुपये 37,08,613/- कुल रुपये 68,78,368/- में से कर राशि रुपये 31,69,755/- जमा कराने के पश्चात ब्याज राशि रुपये 37,08,613/- वेव की गयी थी।

11. आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा उक्तानुसार ब्याज राशियां अधित्यजित किये जाने के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 05.04.2007 के द्वारा ब्याज राशि क्रमशः रुपये 23,69,844/- व रुपये 37,08,613/- के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें सारहीन घोषित करते हुए अस्वीकार की गयी।

12. अपीलार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के नियम 21 में हुए संशोधन के फलस्वरूप घोषणा-पत्र एस.टी.17 प्रस्तुत कर उन्हें स्वीकार करने की मांग की गई, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने मांग राशि वेव होने के कारण तथा घोषणा-पत्र राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 की समयसीमा के पश्चात पेश करने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.06.2011 को अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.05.2013 के द्वारा अपीलार्थी की अपील पूर्व में अपीलें दिनांक 05.04.2007 करे निर्णीत हो चुकी होने के कारण सारहीन होने से अस्वीकार की गयी।

13. माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया :-


- (1) 17 एस.टी.सी. 326 (एस.सी.)
- (2) (2012) 56 वी.एस.टी. 86 (आंध्रप्रदेश)
- (3) (2012) 49 वी.एस.टी. 418 (गुवाहाटी)

14. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 21 में हुए संशोधन से कि 31 मार्च, 2011 तक सम्पूरित हुए कर निर्धारणों के सम्बन्ध में व्यवहारी घोषणा-पत्र 30.06.2011 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संशोधन के कारण क्या अपीलार्थी 1997-98 व 1998-99 के कर निर्धारण वर्ष के लिये वे अप्रस्तुत घोषणा-पत्र, जिनके सम्बन्ध में सृजित मांग राशि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा 'वेव' / अधित्यजित की जा चुकी थी, को प्रस्तुत करने पर स्वीकार करने की मांग करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज किया तथा अपीलीय अधिकारी ने अपील खारिज की है।


15. इस सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 54 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Section 54. Power to reduce or waive interest and penalty in certain cases.-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Commissioner may, on an application made in this behalf by a dealer and after having got conducted such enquiry as he deems necessary and after recording his reasons for so doing, reduce or waive, the amount of interest or penalty or both payable by such dealer under this Act, if he is satisfied that -



लगातार.....9



(a) the dealer is under financial hardship and is not in a position to make full payment of the demand; or

(b) to do otherwise would cause genuine hardship to the dealer.

(2) Every order made under this section shall be final and shall not be called into question by any civil court or any other authority.

धारा 54 Notwithstanding से प्रारम्भ है। Non-obstante Clause सर्वोपरि खण्ड के कारण इस धारा के प्रावधान सर्वोपरि है।


16. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **State of Bihar Vs. Bihar M.S.E.S.KK. Mahasangh (2005) A.I.R. SC 1605** में Non-obstante का निर्वचन करते हुए व्यवस्था दी गयी है कि ".....is generally appended to a section with a view to give the enacting part of the section in case of conflict an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause."


17. 'Final' शब्द का अर्थ — irrevocable, unalterable, absolute, conclusive, irrefutable, unappeallable, indisputable, unchallengeable, incontrovertible, settled, ultimate.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित दी गयी व्यवस्था व विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 व 1998-98 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 54 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 17.12.2004 को पारित आदेश, जो कि अन्तिम है, के पश्चात उसको विवादित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

19. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

20. निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


25.12.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य